अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

काना वगैरह ।बनाम ।। कालू

किस्म मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 65/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00347	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/2019	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिहं पंवार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा नपावली पटवार हल्का नपावली में स्थित की खाता संख्या 128 में अंकित आराजी नम्बर 244 र0 0.63 ह0 ,आ0न0 245, रकबा 0.36 है0 खाता संख्या 129 की आ0न0 246 एवं खाता संख्या 23 की आ0न0 253, 254, 255 किता–3 कुल रकबा 2.78 एवं खता संख्या 105 की आ0न0 251, 252 किता 2 रकबा 0.91 है0 खाता संख्य 105 की आ0न0 251, 252 किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर खाता संख्या 106 की आ0न0 249 रकबा 0.64 है 0 भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उवत आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संवंधी विवाद होता है उक्त विवाद से वचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे । प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा नपावली पटवार हल्का नपावली में स्थित की खाता संख्या 128 में अंकित आराजी नम्बर 244 र0 0.63 ह0 ,आ0न0 245, रकवा 0.36 है0 खाता संख्या 129 की आ0न0 246 एवं खाता संख्या 23 की आ0न0 253, 254, 255 किता–3 कुल रकबा 2.78 एवं खता संख्या 105 की आ0न0 251, 252 किता 2 रकबा 0.91 है0 खाता संख्य 105 की आ0न0 251, 252 किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर खाता संख्या 106 की आ0न0 249 रकबा 0.64 है 0 भूमि की नक्शा वन्दोवस्ती अनुसार विना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की वाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Scanned by CamScanner